न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 588/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मंगलाराम पुत्र स्व0 धीमाराम 2– मालाराम पुत्र स्व0 धीमाराम 3– पारू पत्नी स्व0 धीमाराम 4– बरजु पुत्री स्व0 धीमाराम 5– मिरगो पुत्री स्व0 धीमाराम 6– बाधु पुत्री स्व0 धीमाराम 7– सोमारी पुत्री स्व0 धीमाराम 8– सुगनी पुत्री स्व0 धीमाराम 9– एलची पुत्री स्व0 धीमाराम समस्त जाति विश्नोई निवासीगण भईयो की ढाणी, कुशलावा तहसील लोहावट, जिला जोधपुर		1– बिडदाराम पुत्र रूघाराम 2– नरसींगाराम पुत्र रूघाराम 3– अमराराम पुत्र रूघाराम 4– पांचाराम पुत्र रूघाराम 5– फगलुराम पुत्र रूघाराम 6– श्रीमती मोहनी पत्नी बुधाराम समस्त जातियान विश्नोई निवासीगण भईयो की ढाणी, कुशलावा तहसील लोहावट जिला जोधपुर 7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 17/2016 अनवान बिडदाराम बनाम राजस्थान सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मूल सिह भाटी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से ।
4– रेस्पो0 संख्या 1 से 6 अधिवक्ता अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 9–8–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके खातेदारी के खेत खसरा नंबर 197/1 रकबा 74 बीघा 07 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम भईयो की ढाणी कुशलावा तहसील लोहावट की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 14–7–2015 के माफिक करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2016 को पारित कर दिया । उक्त आदेश की जानकारी तहसीलदार लोहावट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना करने हेतु अपीलांट को दिनांक 25–7–2016 को होने पर अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित होने से यह अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र तथा अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता को गत पेशी दिनांक 5–8–19 को न्यायालय समय मे बार बार आवाजे दिलवाई जाने के

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बावजुद उपस्थित नही होने पर पत्रावली बहस हेतु दिनांक 9–8–19 को मुकर्रर की गई परंतु रेस्पो0 अधिवक्ता दिनांक 9–8–19 को भी न्यायालय से आवाजे दिलवाने के बावजुद उपस्थित नही आये और न ही रेस्पो0 संख्या 1 से 6 स्वयं भी उपस्थित होने पर अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अपीलांट एवं अन्य पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय मे अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 197/1 की पत्थरगढी कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया जबकि अपीलांट के खातेदारी खेत के खसरा नंबर 200 रेस्पो0 के खसरा नंबर 197/1 की भूमि से चिपता हुआ है इसलिए अपीलांट सेढा पडौसी होने से उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाकर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व केम्प न्याय आपके द्वार कार्यक्रम मे जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पत्थरगढी का आदेश पारित करने से पूर्व आस–पडौस के खातेदारो की उपस्थिति मे खेतो का नाप एवं सीमांकन आवश्यक है तथा सीमाज्ञान से सभी पक्षकारा सहमत होने पर ही समस्त पडौसी खातेदारो को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है परंतु वर्तमान मामले मे न तो अपीलांट जो कि पडौसी खातेदार है, को पक्षकार बनाया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0गण ने अपने खातेदारी के खेत ग्राम भईयो की ढाणी पटवार क्षेत्र कुशलावा तहसील लोहावट स्थित संयुक्त खातेदारी के खसरा नंबर 197/1 रकबा 74.07 बीघा भूमि की फर्द पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 14–7–15 के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत निर्णय पारित किया है जिसमे तहसीलदार लोहावट को संबंधित सभी पक्षकारो को जरिये नोटिस सूचित कर एवं सुनवाई कर विधिवत पत्थरगढी के आदेश पारित किये है इसलिए अपीलांट को तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय हाजा मे अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख यथा

नक्शा ट्रेस, जमाबंदी आदि का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमियो मे से खसरा नंबर 200 रेस्पो0गण के खसरा नंबर 197 से चिपता हुआ होने से दोनो खेतो के सेढा पडौसी है जबकि वर्तमान अपील के रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांट एवं अन्य पडौसी खातेदारान को पक्षकार ही नही बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी पडौसी खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये पारित किया गया है जिससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही हो पाने के कारण इस अपील के साथ प्रस्तुत अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र तथा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्रो को स्वीकार किया जाता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार तहसीलदार लोहावट प्रदत्त करते हुए यह निर्देश दिये है कि संबंधित सभी पक्षकारो को जरिये नोटिस सूचित कर एवं सुनवाई कर विधिवत पत्थरगढी के आदेश पारित किये है, जबकि उक्त कार्यवाही नियमो मे वर्णित प्रावधानो के तहत उपखण्ड अधिकारी स्वयं को करनी चाहिये थी ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र मे वर्णित रेस्पो0गण के खसरा नंबर 197/1 की नये सिरे से सीमाज्ञान पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे करवाकर, वर्तमान अपीलांट एवं अन्य पडौसी हितबद्ध खातेदारान को नोटिस जारी कर, उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः रेस्पो0गण के प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 9–8–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर